

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939 No. 1089] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

का.आ. 1216 (अ).—यत:, मै. नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के हिंजेवाड़ी गाँव में राजीव गाँधी इन्फोटेक पार्क के पास खसरा संख्या 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी) में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आई.टी/आई.टी.ई.एस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखराव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2017 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त स्थान के 3.4659 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नंबर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

तालिका

क्रं.सं.	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हिंजेवाड़ी	129/1	0.26
2.		130/1	0.515
3.		130/2/1	0.40
4.		130/2/2	0.87
5.		131/1	1.4209
		कुल	3.4659

1593 GI/2018 (1)

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आंमत्रिती

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 14 मार्च, 2018 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/14/2017-एसईजेड] सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2018

S.O. 1216(E).— WHEREAS, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Survey No. 129 (P), 130 (P), 131 (P) Near Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase-I, Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 31st March, 2017;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 3.4659 hectares area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

TABLE

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Hinjewadi	129/1	0.26
2.		130/1	0.515
3.		130/2/1	0.40
4.		130/2/2	0.87
5.		131/1	1.4209
	T	otal	3.4659

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson		
		ex officio;		
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and	Member ex officio;		
	Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under			
	Secretary to the Government of India			
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the	Member ex officio;		
	Special Economic Zone			
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the	Member <i>ex officio</i> ;		
	Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner			
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic	Member ex officio;		
	Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner			
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member ex officio;		
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State	Member ex officio;		
	Government			
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee		

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 14th day of March, 2018 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/14/2017-SEZ] SUNIL KUMAR, Addl. Secy.